प्र. स. 18/2020

Sarkar vs Motilal.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/3/21	पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी नं० 4 की तामील होकर प्राप्त संख्या की आवश्यक रिपोर्ट कोई भी उपस्थित नहीं एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22/3 को पेश हो [signature]	
22/3/21	पत्रावली पेश हुई। पेरोकार सरकार उप.। पेरोकार सरकार की एक पक्षीय बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वादपत्र धारा 177 स्वीकार किया जाता है निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]	

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री उत्साह चौधरी (I.A.S.) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

दायर तारीख 20.03.2020

वादपत्र संख्या 18/2020

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. मोतीलाल पिता मोहन जाति रेगर निवासी सलावटियां, तहसील बिजौलियां।
2. लीलाबाई पिता मोहन जाति रेगर निवासी सलावटियां, तहसील बिजौलियां।
3. बाली बेवा मोहनलाल जाति रेगर निवासी सलावटियां, तहसील बिजौलियां।
4. सहकारी भूमि विकास बैंक माण्डलगढ।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– पैरोकार तहसीलदार।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 22/03/2021

न्यायालय जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 27/2019 आवंटन निरस्त निर्णय दिनांक 18.03.2021 अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 के दिये गये निर्णय अनुसार भू–धारक तहसीलदार बिजौलियां ने वादपत्र इय न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सलावटियां पटवार मण्डल सलावटियां तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 1457/440 रकबा 0.03 बीघा किस्म बारानी तृतीय प्रतिवादीगणों के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी संख्या 1457/440 रकबा 0.03 बीघा भूमि में खातेदारों का मौके पर कब्जा व काश्त नही हैं। उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगणों द्वारा भूमि पर कब्जा नहीं किया गया व न ही कृषि कार्य किया जा रहा हैं। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नही कर अवहेलना करने से भूमि से बेदखली योग्य हैं। अतः प्रतिवादीगण की उक्त वर्णित आराजीयात को खारीज करा बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। बार–बार आवाज लगायी गयी। न तो विपक्षीगण और न ही विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाडा

लगातार पेज संख्या 02 पर

विपक्षीगण वावजूद इतिल्ला के गैर हाजिर रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नये खाता संख्या 278 ग्राम सलावटियां प0म0 सलावटियां की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रति प्रस्तुत की हैं। आराजी संख्या 1457/440 रकबा 0.03 बीघा किस्म बारानी तृतीय वर्तमान में मोतीलाल, लीलाबाई पिता मोहन मु0 बाली बाई बैवा मोहन रेगर नि0 सलावटियां के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी से दर्ज हैं। एवं मौका पर्चा दिनांक 20.03.2020 प्रस्तुत किया हैं। जिसके अनुसार प्रतिवादीगणों का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं हैं।

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

मैंने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार करना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता हैं। वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम सलावटियां पटवार मण्डल सलावटियां तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 1457/440 रकबा 0.03 बीघा किस्म बारानी तृतीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 22/**03/2021** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलिया (भीलवाड़ा)

(उत्साह चौधरी, IAS)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जि -भीलवाड़ा